कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

क्रमांक / स्था. / 2017 / 1978 जांजगीर दिनांक 30-12-2017

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
अपर कलेक्टर,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अनुसार 17 श्रेणियों को वेबसाइट में दर्ज कराने बाबत्।

संदर्भ : आपके ज्ञापन क्रमांक / 20516 / सू.का.अधि. / 2017 जांजगीर दिनांक 27.12.17।

:: 00 ::

संदर्भित विषयान्तर्गत आपके निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) के अनुसार 17 बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

जिला आयुर्वेद अधिकारी
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

 E// Mahesh/suchna ka adhikar/su.ka adhi file

कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) के अनुसार 17 श्रेणियां

आयुर्वेद विभाग जांजगीर चांपा

प्रस्तावना :– **आयुष चिकित्सा पद्धतिओं एवं उनके माध्यम से जनसामान्य के स्वास्थ्य को बेहतर बनाये रखने एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।**

बिन्दु कमांक 1 :– अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य–

(क) विशिष्टियां :– 54 आयुर्वेद औषधालय, 01 आयुष पाली क्लीनिक, 01 स्पेशिलिटी क्लीनिक जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी व तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदस्थ हैं तथा 01 आयुषविंग, 01 स्पेशलाईज्ड थेरेपी सेन्टर, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक व तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदस्थ हैं।

(ख) कृत्यः– जिला स्तर से मैदानी स्तर तक शासन के दिशा निर्देशानुसार समस्त विभागीय कार्यो का सम्पादन किया जा रहा हैं। जिला स्तर पर पदस्थ जिला आयुर्वेद अधिकारी के द्वारा विभाग प्रमुख के रूप मे दायित्व का सम्पादन किया जा रहा है।

(ग.) कर्तव्य :– शासन के द्वारा सौंपे गये समस्त शासनाधीन कर्तव्य एवं आमजनों के लिए आयुष स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

बिन्दु कमांक 2:– अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य–

आयुर्वेद विभाग में पदस्थ विशेषज्ञ चिकित्सक एंव आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी क्षेत्र अंतर्गत अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे है।

प्रशासकीय कार्य :– कार्यालय प्रमुख के द्वारा मैदानी अमलों पर नियंत्रण तथा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के साथ–साथ प्रशासनिक नियंत्रण समाहित है।

वित्तीय कार्यः– जिला स्तर पर पदस्थ जिला आयुर्वेद अधिकारी अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं।

कर्तव्य :– शासन के द्वारा दिये गये विभागीय कार्यो का संपादन करना एंव विभिन्न बिमारियों से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता लाने हेतु विभाग द्वारा संचालित आयुर्वेद ग्राम योजना के तहत् स्वास्थ्य एंव जागरूकता शिविर,योग प्रदर्शन,आयुषभाव कलादल का प्रदर्शन एवं ग्राम के व्यक्तियों को अपने आस–पास के औषधि गुणयुक्त दैनिक उपयोग में आने वाली औषधियों के महत्व को समझाते हुए उनके सरंक्षण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना, तथा विभिन्न मौसमी तथा सामान्य बिमारी में अपने आस–पास में होनेवाली जड़ी–बूटियों के उपयोग की सलाह दी जाती है। विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागीता के साथ उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सफल बनाना।

पचंकर्म विधा तथा क्षार–सूत्र क्रिया व पाम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जनसामान्य के स्वास्थ्य को बेहतर बनाये रखने के प्रति उत्तरदायी है।

बिन्दु कमांक 3:– अपने विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है–

1. सभी मैदानी अमलों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सौंपे गये दायित्व व कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करना।
2. नियमित पर्यवेक्षण एवं सतत् निगरानी के माध्यम से दायित्वों के प्रति जागरूक करना।
3. निर्धारित मुख्यालय में निवास कर कर्तव्यों का पालन करना।

बिन्दु कमांक 4:– अपने कर्तव्यों के निर्वहन के स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड–

शासन के निहित निर्देशों के परिपालन में कृत्यों का निर्वहन किया जा रहा है।

बिन्दु कमांक 5:– अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम,विनियम,अनुदेश और अभिलेख–

1. नियमानुसार कृत्यों का निर्वहन तथा विनियमन कर कर्मचारियों द्वारा भी किया जा रहा है।
2. नियमानुसार अनुदेश के परिपालन में मैदानी अमलों को निर्धारित क्षेत्र के मुख्यालय में पदस्थ कर कृत्यों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
3. नियमानुसार विभिन्न अभिलेखों का संधारण समय पर किया जाता है।

E// Mahesh/suchna ka adhikar/su.ka adhi file

बिन्दु कमांक 6:–ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गए है अथवा उनके नियंत्रण में है–

1. विभाग प्रमुख द्वारा कार्यालयीन समस्त आवश्यक दस्तावेजों व अभिलेखों का संधारण समय पर कराया जाता है।
2. केश तथा स्थापना संबधी महत्वपूर्ण अभिलेख का संधारण वित्तीय संहिता नियमों के तहत किया जाता है।
3. अधिकारीयों/कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका व्यक्तिगत फाईल आदि संधारित है।

बिन्दु कमांक 7:– ऐसी व्यवस्था का विवरण, जो उसकी नीति निर्माण या उसके कियान्वयन के संबध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिय विद्यमान है–

वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यो का सम्पादन किया जाता है। इस स्तर से नीति निर्माण नहीं किया जाता है। मैदानी स्तर से प्राप्त अभ्यावेदन/सलाह/परामर्श को वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जाता है।

बिन्दु कमांक 8:– बोर्ड,परिषदो,समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गई हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिये खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है–

1. आयुर्वेद विभाग अंतर्गत अलग से बोर्ड, परिषद, अथवा अन्य निकाय नहीं है समस्त कार्य शासनाधीन है।
2. औषधालय के उन्नयन एवं रखरखाव हेतु जिला में आयुषदीप समिति एवं 54 आयुषदीप उपसमितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के बैठक में सचिव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य ही भाग ले सकते है। यह आमलोगों के लिए बैठक खुली नहीं होती है।

बिन्दु कमांक 9 :– अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका –

विभागीय समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका तैयार है व्यक्तिगत विवरणिका संधारित है जो कार्यालय प्रमुख के कार्यालय के नियंत्रणाधीन है।

बिन्दु कमांक 10 :– अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक –

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विनियमयों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली व मासिक पारिश्रमिक शासनाधीन है।

बिन्दु कमांक 11 :– सभी योजनाओं,प्रस्तावित परिव्यय और किये गये आहरणों संबंधी रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण को आबंटित बजट –

1. सभी योजनाओं के लिए बजट राज्य स्तर से प्राप्त होता है नियमाधीन परिव्यय किया गया है तथा वित्तीय लेखा जोखा का इंद्राज अभिलेख में संधारित किया जाता है।
2. योजनाओं के अलग–अलग बजट प्रावधान निहित है तदानुसार योजना अनुसार क्रियान्चयन मैदानी स्तर पर किया जाता है।
3. आबंटित बजट योजनानुसार अलग–अगल वर्षो में अलग–अलग प्रभावित होता है।

बिन्दु कमांक 12 :– आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा–

आयुर्वेद विभाग अंतर्गत अलग से आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रम नहीं है।

बिन्दु कमांक 13 :– अपने द्वारा मंजूर की गई रियासत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारी के प्राप्तकर्ताओं का विवरण –

आयुर्वेद विभाग द्वारा मंजूर की गई रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारी के प्राप्तकर्ताओं का विवरण नहीं है। समस्त कार्य शासन के निर्देशानुसार किया जाता है।

बिन्दु कमांक 14 : अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में ब्यौरा–

1. कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जांजगीर में कार्यालयीन कार्य का संपादन हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि उपलब्ध है तथा सूचना ई–मेल द्वारा किया जाता है।
2. सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त आवेदन पर अधिनियम के अंतर्गत जानकारी निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराई जाती है।

बिन्दु कमांक 15 :– सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे जिनमें जनसाधरण के लिए उपलब्ध पुस्ताकालय या वाचनकक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हों।

सूचना के अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर संबंधित आवेदकों को सूचना डाक द्वारा/ व्यक्तिगत उपस्थित होने पर दी जाती है तथा जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाती है।

बिन्दु कमांक 16 :– लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टयां–

लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम निम्न है–

क्र.	स्तर	स्थान	लोक सूचना /सहायक जन सूचना अधिकारियों के नाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5
1	जिला	कार्यालय आयुर्वेद अधिकारी जांजगीर–चांपा (छ.ग.)	डॉ. आर.एन.मिश्रा, जि.आयु.अधि. लोक सूचना अधिकारी	डॉ.जी.एस.बदेशा संचालक, आयर्वेद,योग,प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी सिद्ध, एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़ रायपुर
			डॉ. आर.के.अग्रवाल, आ.चि.अ.सहायक जन सूचना अधिकारी	
2	औषधालय	आयुषविंग जांजगीर	डॉ. पी.बी.दीवान विशेषज्ञ चिकित्सक	
3	–"–	स्पेश.थेरेपी सेन्टर चांपा	डॉ.मनीष खरे, विशेषज्ञ चिकित्सक	
4	–"–	आयुषपॉली क्लीनि जांजगीर	डॉ. विजय आनंद बघेल हो.चि.अ.	
5	–"–	शास.आयु.औष.जांजगीर	डॉ.सतीश समदर्शी आ.चि.अ.	
6	–"–	शास.आयु.औष.किरारी(ड.)	डॉ तुलाराम पटेल आ.चि.अ.	
7	–"–	शास.आयु.औष.कमरीद	डॉ आर.के.अग्रवाल आ.चि.अ.	
8	–"–	शास.आयु.औष.नरियरा (अ.)	डॉ.श्रेया दीक्षित आ.चि.अ.	
9	–"–	शास.आयु.औष.तरौद	डॉ शैलेष थवाईत आ.चि.अ.	
10	–"–	शास.आयु.औष.कोटमीसोनार	डॉ बसंत सिंह आ.चि.अ.	
11	–"–	शास.आयु.औष.खटोला	डॉ सी.एस. गौरहा आ.चि.अ.	
12	–"–	शास.आयु.औष.कटघरी	डॉ. गुलशन डनसेना आ.चि.अ.	
13	–"–	शास.आयु.औष.चंगोरी	डॉ भूमिका साहू आ.चि.अ.	
14	–"–	शास.आयु.औष.राहौद	डॉ रश्मि चतुर्वेदी आ.चि.अ.	
15	–"–	शास.आयु.औष.खरौद	डॉ. अरूण सिंह आ.चि.अ.	
16	–"–	शास.आयु.औष.बुंदेला	डॉ सुनंद गोस्वामी आ.चि.अ.	
17	–"–	शास.आयु.औष.मुलमुला	डॉ. सुरेश प्रसाद मिश्रा आ.चि.अ.	
18	–"–	शास.आयु.औष.महुदा	डॉ. मधु शर्मा आ.चि.अ.	
19	–"–	शास.आयु.औष.खिसोरा	डॉ. श्रुति थवाईत आ.चि.अ.	
20	–"–	शास.आयु.औष.पचगवां	डॉ. रितु श्रीवास्तव आ.चि.अ.	
21	–"–	शास.आयु.औष.बुड़गहन	डॉ. भुनेश्वरी भारद्वाज आ.चि.अ.	
22	–"–	शास.आयु.औष.जाजंग	डॉ युगाधिश्री जायसवाल, आ.चि.अ.	
23	–"–	शास.आयु.औष.जुडगा	डॉ. बेनजीर अहमद आ.चि.अ.	
24	–"–	शास.आयु.औष. खैरा	डॉ.राज्यपाल सिंह आ.चि.अ.	
25	–"–	शास.आयु.औष.बरपालीकला	डॉ. सरिता ठाकरे आ.चि.अ.	
26	–"–	शास.आयु.औष.अमलडीहा	डॉ. उत्तम गबेल आ.चि.अ.	
27	–"–	शास.आयु.औष.सकर्रा	डॉ अनिल पटेल आ.चि.अ.	
28	–"–	शास.आयु.औष.अकलसरा	डॉ. अनिल त्रिपाठी आ.चि.अ.	
29	–"–	शास.आयु.औष.सपोस	डॉ. छत्रपति पटेल आ.चि.अ.	
30	–"–	शास.आयु.औष.लखाली	डॉ. सतीश तिवारी आ.चि.अ.	
31	–"–	शास.आयु.औष.कॉसा	डॉ एस.के. जांगड़े आ.चि.अ.	
32	–"–	शास.आयु.औष. झरना	डॉ सोनू कबुलपुरिया आ.चि.अ.	
33	–"–	शास.आयु.औष. धाराशिव	डॉ. संजय खरे आ.चि.अ.	
34	–"–	शास.आयु.औष. धुरकोट	डॉ.विद्या कुमारी आ.चि.अ.	

बिन्दु कमांक 17 :– अन्य उपयोगी जानकारियां–

कार्यालय के सूचना पटल पर सूचना के अधिकार की समस्त जानकारी को सभी के पाठन हेतु चस्पा किया गया है।

जिला आयुर्वेद अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

 E// Mahesh/suchna ka adhikar/su.ka adhi file